

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला जिला भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - ओमप्रकाश (आर.ए.एस.)
 प्रकरण संख्या - 262/2026
 दायर दिनांक - 02.04.2026

उनवान

1. सत्यनारायण पुत्र रुगनाथ जी गुर्जर उम्र 34 वर्ष निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
2. मु चन्ता बेवा काना जी गुर्जर उम्र 40 वर्ष निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
3. आशाराम पुत्र काना जी गुर्जर उम्र 19 वर्ष निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
4. मु. कृष्णा पुत्री काना जी गुर्जर उम्र 13 वर्ष जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता मु चन्ता बेवा काना जी गुर्जर उम्र 40 वर्ष निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।

बनान

— प्रार्थीगण

1. अनिता पुत्री दूदाराम जी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
2. आशाराम पुत्र दूदाराम जी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
3. मु. रमती पत्नी दूदाराम जी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
4. मु सुनिता पुत्री दूदाराम जी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
5. सुरेश पुत्र राजू गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
6. सांवरा पुत्र राजू गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
7. मु सीता पुत्री राजू गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
8. प्रभु पुत्र मगना गुर्जर उम वयस्क निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
9. भागचन्द्र पुत्र मगना गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
10. रामकिशन पुत्र मगना गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
11. रामचन्द्र पुत्र मगना गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
12. मु जेतू पुत्री खाना गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
13. बन्ना पुत्र खाना गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
14. मु सुनिता पत्नी भामचन्द्र गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
15. मु. देवांशी पुत्री भागचन्द्र गुर्जर उम्र नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता मु. सुनिता पत्नी भागचन्द्र गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
16. मु. सोनीदेवी पत्नी खाना गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता— श्री सोहेल खान

— (अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भूराजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

आदेश

दिनांक - 06.05.2026

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भूराजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बावड़ी पटवार हल्का ईटडिया भू अभिलेख निरीक्षक अरवड तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की खतौनी सं. नई 319 व पुरानी 10 में आराजी नं 1458/451, 1459/451, 452, 453, 455, 456, 457 कुल कीता 07 कुल रकबा 2.86है0 स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसीगण हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 16 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।


आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरुद्ध विपक्षीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बावड़ी पटवार हल्का ईटडिया भू अभिलेख निरीक्षक अरवड तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की खतौनी सं. नई 319 व पुरानी 10 में आराजी नं 1458/451, 1459/451, 452, 453, 455, 456, 457 कुल कीता 07 कुल रकबा 2.86है0 भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक अरवड को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसीयान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। विवादित सीमा मे आने वाले खातेदार को पक्षकारान नही बनाने की स्थिति मे, किसी भी न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में

न्यायालय अधिकारी
 फूलियाकला जिला भीलवाडा

तथा राजहित प्रभावित होने की दशा में, किसी पक्षकारान की मृत्यु हो जाने से पत्थरगढी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। उक्त पत्थरगढी के दौरान किसी विपक्षी/अन्य खातेदार के कब्जे वाली आराजी में पत्थरगढी हो जाती है तो उक्त आराजी प्रार्थी के स्वामित्व का घोटक नहीं है। अतः प्रार्थी को इच्छित अनुतोष प्राप्त करने हेतु विधि अनुसार सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना होगा। बैंक हित अप्रभावित रहेंगे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(ओमप्रकाश)
अध्यक्ष, अधिकारी
फुलियाकला, जिला भीलवाड़ा